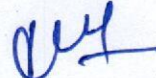
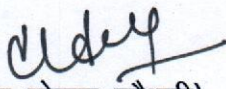


आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश ०६-०६/२०२४	कार्यालय अभ्युक्ति
07.08.2024	इस वाद की सुनवाई कतिपय कारण से स्थगित की गई थी। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-28.08.2024 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। अपरिहार्य कारण से इस वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-09.09.2024 को निर्धारित की जाती है। सुनवाई ऑनलाईन किया जाएगा। उभय पक्ष को सूचित करें।  (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। अपरिहार्य कारण से इस वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें।  (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	